पत्रांकः– 04/NULM-05/2017/..1868..../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

संजय दयाल, *आई0आर0एस0एस0*
विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत

पटना, दिनांक ..11.8.17..

विषयः– **DAY-NULM योजनान्तर्गत शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों के सर्वेक्षण हेतु संशोधित मार्गदर्शिका का प्रेषण।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक– 1283, दिनांक– 01.06.2017।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि कई नगर निकायों द्वारा आश्रय विहिन व्यक्तियों के सर्वेक्षण हेतु विकास मित्र का सहयोग लिये जाने की विभागीय अनुमति की अपेक्षा की गयी है।

तद्आलोक में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका 3(d) में संशोधन किया गया है, जो निम्नवत हैः–

कंडिका	मौजूदा प्रावधन	संशोधित प्रावधान
3(d)	जिन नगर निकायों में DAY-NULM योजना के अधीन क्षेत्र/ नगर स्तरीय संगठनों (ALF/CLF) का गठन नहीं हो सका है वैसे नगर निकाय PMC-NULM के द्वारा सम्बद्ध किये गये नगर मिशन प्रबंधकों (CMMU) के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य करायेंगें। इस कार्य में CMMU को कोई राशि भुगतेय नहीं होगा।	जिन नगर निकायों में DAY-NULM योजना के अधीन क्षेत्र/नगर स्तरीय संगठनों (ALF/CLF) का गठन नहीं हो सका है **वैसे नगर निकाय सर्वेक्षण कार्य में विकास मित्र का सहयोग ले सकते हैं। सर्वेक्षण में लगाये जाने वाले विकास मित्र को भुगतान सर्वेक्षण निर्देशिका के बिन्दु संख्या– f. (एफ.) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा।**

अतः संशोधित मार्गदर्शिका आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/11/8/17
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(36)

शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों के सर्वेक्षण हेतु संशोधित निर्देशिका

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के शहरी निराश्रितों के आश्रय स्थल (SUH) घटक के अधीन नगर निकायों क्षेत्रान्तर्गत के शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों का सर्वेक्षण विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है । सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों की जनसँख्या एवं उनकी श्रेणी का आकलन कर नगर निकायों के द्वारा आवश्यकता अनुरूप मूलभूत सुविधाओं यथा जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा आदि से पूर्ण स्थाई आश्रय से युक्त आश्रय स्थल उपलब्ध कराना है ।

   ये आश्रय स्थल, शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों के लिए स्थायी तौर पर हर मौसम चौबीस घंटे उपलब्ध होंगे। साथ ही सर्वेक्षण के आधार पर विशिष्ट संवेदनशील वर्गों जैसे कि आश्रितों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, मानसिक रोगियों एवं गंभीर रूप से बीमार के लिए विशेष खण्डों का निर्माण कर एवं विशेष सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है । आश्रयहीन जनसंख्यों की पहुँच विभिन्न अधिकारों यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहचान पत्र, वित्तीय समावेशन आदि तक सुनिश्चित करना भी है।

   शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों से समबन्धित सर्वेक्षण डाटा प्राप्त होने पर भविष्य में रोड मैप तैयार किया जा सकेगा एवं SUH योजना के क्रियान्वयन में राशी एवं आधारभूत संरचना का आकलन किया जा सकेगा । अतः उपरोक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत शहरी निराश्रितों का सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है ।

2. **शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों की परिभाषा** : ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो अपना और ना ही किराये का मकान है (जैसे सड़क मार्जिन/फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, पुल के नीचे, कंस्ट्रक्शन साईट, ह्युम पाइप में या खुले आसमान के नीचे तथा अन्य स्थल जो मानव आवासन के लिए अयोग्य हों पर रात गुजारने वाले व्यक्ति)। शहरी निराश्रितों में रोजगार के कारण स्थानांतरित रिक्शा / ठेला चालक, थोक बाज़ार / मंडी में काम करने वाले मजदूर / मानसिक तौर से बीमार / मंद, भिक्षुक, फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, परित्यक्त महिला, वयोवृद्ध / बुजुर्ग, दिव्यांग इत्यादि भी शामिल हैं ।

3. **शहरी आश्रय विहिन व्यक्तियों का सर्वेक्षण** : क्रम संख्या 2 में उल्लेखित शहरी निराश्रितों पहचान सर्वेक्षण के माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए सर्वेक्षण प्रपत्र **(Annexure-A)** में नगर निकायों के द्वारा जाना है । प्रस्तावित सर्वेक्षण, पत्र निर्गत तिथि से एक माह के अंदर नगर निकायों द्वारा पूर्ण कराया जाना है जिसके लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना है :-

   a. **सम्बंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी (DAY-NULM)** :- प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य के नोडल पदाधिकारी होंगे । सर्वेक्षण कार्य इन्ही की देख-रेख में सम्पन्न किया जाएगा ।

b. सम्बंधित नगर निकाय के नगर मिशन प्रबंधन यूनिट (CMMU) में कार्यरत कर्मी सर्वेक्षण हेतु आवश्यक समन्वय एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे ।

c. **सर्वेयर :-** नगर निकाय द्वारा DAY-NULM योजना के अधीन गठित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र/ नगर स्तरीय संगठनो (ALF/CLF) के माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए सर्वेक्षण प्रपत्र **(Annexure-A)** में सर्वेक्षण का कार्य कराया जायेगा । नगर निकाय ALF/CLF के प्रतिनिधि (जो सर्वे कार्य करने में सक्षम हो) को सर्वेयर के रूप में तैनात करेंगे एवं CMMU के माध्यम से उनकी क्षमता वर्धन/प्रशिक्षण कर उन्हें सर्वेक्षण कार्य में लगायेंगे । सर्वेक्षण कार्य में लगाये जा रहे सर्वेयर की संख्या का आकलन नगर निकायों द्वारा प्रत्येक 5 वार्ड पर 2 सर्वेयर के आधार पर या स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

d. **जिन नगर निकायों में DAY-NULM योजना के अधीन क्षेत्र/ नगर स्तरीय संगठनो (ALF/CLF) का गठन नहीं हो सका है वैसे नगर निकाय सर्वेक्षण कार्य में विकास मित्र का सहयोग ले सकते हैं । सर्वेक्षण में लगाये जाने वाले विकास मित्र को भुगतान बिंदु संख्या (f.) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा ।**

e. अनुमानतः एक सर्वेयर प्रतिदिन 25-30 शहरी निराश्रितों का सर्वे कार्य पूरा कर सकता है। सर्वेक्षण कार्य में CMMU पूर्ण रूप से सर्वेयर के साथ समन्वय करेंगे एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे एवं जहाँ ALF/CLF नहीं हैं वह CMMU स्वयं सर्वेक्षण कर प्रपत्र भरेंगे ।

f. **सर्वे कार्य में लगाये गए ALF/CLF के प्रतिनिधि को भुगतान :-** सर्वेक्षण में लगाये गए सर्वेयर को प्रति सर्वेक्षण प्रपत्र रु. 25/- (पच्चीस रूपये मात्र) का भुगतान नगर निकायों द्वारा DAY-NULM के तहत उपलब्ध राशि से नियमानुसार किया जायेगा । CMMU के यह जिम्मेवारी होगी की सर्वेयर से प्राप्त भरे हुए सर्वेक्षण प्रपत्र की जांच कर भुगतान की अनुशंसा करेंगे । ।

g. **सर्वेक्षित डाटा की ऑनलाईन प्रविष्टि :** सर्वेक्षनोपरांत नगर निकाय द्वारा 10 दिनों के अन्दर शहरी निराश्रितों से समबन्धित सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि CMMU के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा ।

****